

No.A.12011/02/2019-Ad.IA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

Room No.230, North Block,
New Delhi, the 11th April, 2019

C I R C U L A R

Subject: Filling up of the post of Deputy Director (Budget & Accounts) in the Level-11 of 7th CPC Pay Matrix in Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on deputation Basis.


The undersigned is directed to state that it is proposed to fill up Two vacancies of **Deputy Director (Budget & Accounts)**, in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in the Level-11 of 7th CPC Pay Matrix on deputation basis. The eligibility conditions for recruitment to the post of DD(B&A) are given in **Annexure-I**.

2. It is requested that the applications (in duplicate) from the eligible and willing officers who can be relieved, if selected, may be forwarded in the prescribed proforma as in **Annexure-II**, to this Department **within 60 days** from the date of publication in the Employment News along with the following documents:-

- CR dossiers containing CRs for the last five years. In case of photocopies of CR dossiers, it should be duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary to the Govt. of India. (Attestation on each page).
- Vigilance/Disciplinary Clearance.
- Integrity Certificate.
- A statement showing major/minor penalties imposed during the last ten years. The statement is also required in case of 'NIL' information.
- Cadre clearance.

3. Applications received incomplete, otherwise than through proper channel and without the above-mentioned documents and after the due date will not be entertained. Further, the candidate who applies for the post will not be allowed to withdraw his candidature subsequently.

Hindi version enclosed.




(Sanjeev Gupta)

Under Secretary to the Govt. of India

Copy to:

- All Ministries/Departments of the Government of India.
- All Departments of Ministry of Finance including Department of Financial Services.
- All Heads of Organized Accounting Cadres Office of:-
 - CGDA, M/o Defence, G. Block, DHQ P.O., New Delhi-1.
 - Dy. Director General (PAF), D/o Posts, Room No.405, Dak Bhawan, Delhi.
 - Dy. Director General (Accounts), D/o Telecommunications.
 - Controller General of Accounts, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-3, and
 - Finance Commissioner, Ministry of Railways, New Delhi.
- Assistant Editor (Advt.), Employment News, Publication Division, Ministry of I & B, 7th Floor, Sochna Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi with the request to publish the above vacancy circular in the forthcoming issue of Employment News. The bill may be forwarded to Shri Sanjeev Gupta, Under Secretary, Room No.241-E, North Block, New Delhi-110001.
- NIC,DOP&T with the request to upload the vacancy circular on the website of DOP&T.
- Finance Library.
- Sr./Tech. Director(NIC) with the request to upload the vacancy circular on the website of DEA.
- Spare Copies-15.



ANNEXURE-I

1. Name of the Post : Deputy Director (Budget and Accounts)
2. Number of Vacancy : Two
3. Classification : General Central Service, Group 'A' Gazetted
4. Ministry / Department : Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs.
5. Level in the Pay Matrix : Level-11 of 7th CPC pay matrix
6. Method of Recruitment : Deputation.
7. Eligibility Conditions:

DEPUTATION:

From amongst officers under the Central or State Government/Union Territories :-

- a. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-10 or Level-9 of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre; or
(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-8 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre; and
- b. Possessing the following Educational qualification and experience, namely :-
 - i. Bachelors degree from a recognized University or institution; and
 - ii. five years' experience in Finance or Budgeting or Accounts Division of any Department.

Re-employment of Armed Forces Personnel :-

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

Note 1 – Central or State Government employees are only eligible for absorption.

Note 2- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

PROFORMA

1. Post applied for
2. Name and address in Block letters
3. Date of Birth
4. Date of Retirement under Central Govt. Rules.
5. Educational Qualifications
6. Whether Educational and other Qualifications required for the post are satisfied? (If any qualifications has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the Authority for the same)

Qualification/Experience

Qualification/Experience

Required

Possessed

7. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post?
8. Details of employment, in chronological order.
(enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Ministry/ Department	Post held	From	To	Level in the Pay Matrix	Nature of duties

9. Nature of present employment i.e. ad-hoc or temporary
Or quasi-permanent or permanent.
10. In case the present employment is held on
Deputation basis/contract basis, please state;
a) The date of initial appointment :
b) Period of appointment on deputation/contract :
c) Name of the parent Office/Organization to which belong
11. Additional details about present employment
Please state whether working under
(a) Central Government
(b) State Government
(c) Autonomous Organisation
(d) Universities
(e) Others
12. Are you in revised scale of pay? If yes,
give the date from which the revision took
place and also indicate the pre-revised scale.
13. Total emoluments drawn per month
14. Whether belongs to SC/ST
15. Additional information, if any
16. Remarks (if any)

Date:

Place:

Signature of the Candidate

Address _____

Service particulars given by the applicant are verified with reference to service records and found to be correct

Signature with seal of the Competent Authority

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

कमरा सं. 230, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिनांक: 11 अप्रैल, 2019

परिपत्र


विषय: वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 7वें वेतन आयोग के लेवल-11 में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (बजट और लेखा) के पद को भरना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 7वें वेतन आयोग पे मेट्रिक्स के लेवल-11 में **उप निदेशक (बजट और लेखा)** के दो पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। **उप निदेशक (बजट और लेखा)** के पद पर भर्ती हेतु पात्रता संबंधी शर्तों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

2. अनुरोध है कि ऐसे पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें चयन हो जाने पर कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) **अनुलग्नक-II** में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित, रोजगार समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से **60 दिनों के भीतर** इस विभाग को अग्रेषित कर दिए जाएं:

- पिछले पाँच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों सहित गोपनीय रिपोर्ट डोजियर। यदि गोपनीय रिपोर्ट डोजियर की फोटोकापी भेजी जाए तो उन्हें कम से कम अवर सचिव, भारत सरकार के स्तर के अधिकारी से विधिवत सत्यापित करवा कर भेजा जाए। (प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापन)
- सतर्कता/अनुशासनिक अनापत्ति।
- सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।
- पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए बड़ा/छोटा दंड दर्शाने वाला विवरण। सूचना "शून्य" होने पर भी विवरण अपेक्षित है।
- संवर्ग अनापत्ति।

3. अपूर्ण, उचित माध्यम से न भेजे गए तथा उपर्युक्त दस्तावेजों से रहित तथा निश्चित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को एक बार आवेदन करने के पश्चात् बाद में अपना आवेदन वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।



(संजीव गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- वित्तीय क्षेत्र प्रभाग सहित वित्त मंत्रालय के सभी विभाग।
- संगठित लेखा संवर्ग के निम्नलिखित कार्यालयों के सभी प्रमुख।
 - सीजीडीए का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, जी ब्लॉक, डीएचक्यू, पी.ओ., नई दिल्ली-1
 - उप महानिदेशक (पीएएफ), डाक विभाग, कमरा सं. 405, डाक भवन, दिल्ली।
 - उप महानिदेशक (लेखा), दूर-संचार विभाग।
 - लेखा महानियंत्रक, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-3, और
 - वित्त आयुक्त, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
- सहायक संपादक (विज्ञापन), रोजगार समाचार पत्र, प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 7वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि रोजगार समाचार के आगामी अंक में उपरोक्त रिक्ति परिपत्र को प्रकाशित कर दें। यह बिल श्री संजीव गुप्ता, अवर सचिव, कमरा सं. 241-ई, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित किया जाए।
- वित्त पुस्तकालय
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी)। अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को इंटरनेट और ऑन लाइन नोटिस बोर्ड पर भी जारी करें।
- अतिरिक्त प्रतियाँ-15

1.	पद का नाम	उप निदेशक (बजट और लेखा)
2.	पदों की संख्या	दो
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी 'क' , राजपत्रित,
4.	मंत्रालय/विभाग	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग
5.	पे मेट्रिक्स में लेवल	7वां वेतन आयोग पे मेट्रिक्स का लेवल-11
6.	नियुक्ति की पद्धति	प्रतिनियुक्ति

7. पात्रता :

प्रतिनियुक्ति

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारियों में से:

- क. (i) जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; अथवा
(ii) जो पे मेट्रिक्स के लेवल-10 अथवा लेवल-9 में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर दिए गए ग्रेड अथवा मूल संवर्ग में समतुल्य पद पर पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; अथवा
(iii) जो पे मेट्रिक्स के लेवल-8 में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर दिए गए ग्रेड में अथवा मूल संवर्ग में समतुल्य पद पर छह वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

ख. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव, नामतः:-

- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री; और
(ii) किसी विभाग के वित्त अथवा बजट अथवा लेखा प्रभाग में पांच वर्ष का अनुभव

सशस्त्र सेना कार्मिक का पुनर्नियोजन:-

सशस्त्र सेना कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाला है अथवा जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जिनके पास वांछित अनुभव और निर्धारित योग्यता है, उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति शर्तें दी जाएंगी जिस तिथि पर वे सशस्त्र बलों से रिलीज किया जाएगा; उसके बाद उन्हें पुनः नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।

टिप्पण 1- केवल केंद्र अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी आमेलन हेतु पात्र हैं।

टिप्पण 2- फीडर वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जिनकी सीधी पदोन्नति हेतु पात्रता है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से प्रतिनियुक्ति वाले पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3- केंद्र सरकार के समान अथवा अन्य कोई संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रोफार्मा

1. आवेदित पद का नाम
2. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
3. जन्म तिथि
4. केन्द्र सरकार के नियमों के अधीन
सेवा-निवृत्ति की तारीख
5. शैक्षिक अर्हताएं
6. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक
और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि कोई
अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष
मानी गई है तो उसके लिए प्राधिकार का
उल्लेख करें)

अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव

प्राप्त अर्हताएं/अनुभव

7. कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि
आपके द्वारा दी गई उपर्युक्त प्रविष्टियों
के आधार पर क्या आप इस पद की
अपेक्षाएं पूरी करते हैं?
8. रोजगार का काल क्रमानुसार विवरण
(यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो
अपने हस्ताक्षर से यथा प्रमाणित पृथक पन्ना
संलग्न करें)

मंत्रालय/विभाग धारित पद से तक पे मैट्रिक्स में लेवल कार्य का स्वरूप

9. वर्तमान नियोजन का स्वरूप, जैसे तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी
10. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया उल्लेख करें;
 - (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
 - (ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि
 - (ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हो
11. वर्तमान रोजगार के संबंध में अन्य ब्यौरा:
कृपया उल्लेख करें कि आप किसके अधीन कार्यरत हैं
 - (क) केन्द्र सरकार
 - (ख) राज्य सरकार
 - (ग) स्वायत्त संगठन
 - (घ) विश्वविद्यालय
 - (ङ) अन्य
12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं?
यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं और संशोधन-पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं
13. वर्तमान में प्रतिमाह प्राप्त कुल परिलब्धियां
14. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हैं
15. अन्य सूचना, यदि कोई हो
16. अभ्युक्तियां, यदि कोई हो

आवेदक के हस्ताक्षर

पता.....

आवेदक द्वारा दिए गए सेवा विवरणों का सत्यापन सेवा अभिलेखों से कर लिया गया है और उन्हें सही पाया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर